CNR No.–UPGK010024002026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय संख्या–02 गोरखपुर।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1018/2026

रजतराज चौहान पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी चक्सा हसैन पंचपेडवा रामजानकी नगर, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर। ----------आवेदक्/अभियुक्त

---प्रति---

उत्तर प्रदेश राज्य ----------प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या–351/2025,
धारा–140(4), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–गोरखनाथ , जनपद गोरखपुर।

दिनांकः–20.05.2026

आवेदक/अभियुक्त रजतराज चौहान द्वारा यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–351/2025, अंतर्गत धारा–140(4), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना–गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। शपथकर्ता रजतराज चौहान द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन बल न देने के कारण निरस्त हो गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता अखिलेश मणि त्रिपाठी का लड़का अनन्य मणि त्रिपाठी उम्र करीब 17 वर्ष, जो गोरखनाथ हास्टल में रहकर एन०एस०आई०, आई०एन०सी० में पढ़ता है, जो दिनांक 04.08.2025 को समय लगभग 01:00–01:30 बजे रात में कमरे में सोया था, तभी लकी त्रिपाठी अपने कुछ साथियों के साथ बोलेरो लेकर, जिसका नम्बर– यू०पी०–58–ए०डी०–4021 है, अनन्य को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा व गाड़ी में बैठाकर लेकर चला गया।

मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में अपहृत पीडित अनन्य मणि त्रिपाठी पुलिस के समक्ष उपस्थित आया एवं अपहृत/पीड़ित का बयान धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेखबद्ध किया गया। धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपहृत पीड़ित अनन्य मणि त्रिपाठी द्वारा कथन किया गया है कि, "एक लड़का लकी त्रिपाती था, इससे मैं कभी नहीं मिला, न जानता हूँ। ये फोन किया कि तुम्हारे फोन में कुछ फोटो और चैट देखना है, एक लड़की जिसका नाम साक्षी मिश्रा है, उसी के सम्बन्ध में फोटो और चैट देखना चाह रहा था। मैं इस लड़की से हफ्ते–दस दिन से चैट के थ्रू तथा काल के थ्रू भी बात हो जाती थी। वो लड़का 03.08.2025 को रात में 11–12 बजे की पेट्रोल टंकी पर मैरेज हाल से फोन किया, फिर मुझे डाउट हुआ, उसके साथ कई लड़के थे, फोन पर कहा कि मुझसे मिलना है, फिर उसने कहा कि हास्टल आ रहा हूँ। गाड़ी से आर्टिगा, बोलेरो व वरना से थे। मैं सोया था, वह रूम तक आया गया, फिर मुझे रूम से नीचे ले गया, फिर धक्का

देकर गाड़ी में बैठा लिया, फिर फोन चेक किया। फोन में कुछ नहीं मिला। फिर बोला साथ हो लड़के रहते हैं, वे उस बोलेरो गाड़ी का फोटो लिए, फिर पुलिस को बताये। यो लगातार गाड़ी चला रहे थे। कहीं गाँव पीपीगंज से 10–15 किलोमीटर अन्दर जा कर रोके थे। फिर पुलिस को पता चल गया, उन्होने मुझे काफी मारा–पीटा। यहाँ गाँव के अन्दर जाने लगे, तो वे लोग बोले की पुलिस को पता लग गया है, मुझसे कहा कि गाड़ी का नम्बर लिये हो, तो हटाओ और समझौता कर लो व मेरे पिता जी का नम्बर लेकर बात किये कि समझौता कर लीजिए, तो छोड़ देंगे। यह उन्हें महसूस हुआ कि वे फंस जायेंगे और पुलिस को पता चल गया है, तब उन लोगों ने इसे जुडिओ के पास बरगदवॉ में छोड़ दिये। ये लगभग 20–25 लोग थे। प्रथम सूचनाकर्ता/अपहृत पीड़ित के पिता द्वारा अपहृत पीडित का चिकित्सकीय परीक्षण इसलिए नहीं कराया गया, क्योकि अपहृत पीड़ित को कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवका का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक अभियुक्त नौजवान लड़का है तथा जेल जाने से उसका जीवन बर्बाद हो जायेगा। आवेदक अभियुक्त विवेचना/विचारण में पूर्णतः सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदक अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की प्रबल आशंका है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक अभियुक्त व सह–अभियुको द्वारा अपहरण जैसा गम्भीर अपराध किया गया है। यदि पुलित्त द्वारा सतर्कता नहीं बरती गयी होती, तो अपहृत पीड़ित की हत्या भी हो सकती थी। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। अतएवं मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदक अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तकों को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्राथमिकी में आवेदक अभियुक्त व सह–अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता अखिलेश मणि त्रिपाठी के लड़के अनन्य मणि त्रिपाठी उम्र करीब 17 वर्ष को लक्की त्रिपाठी द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ बोलेरो गाड़ी में बैठाकर ले जाने का उल्लेख है, जिससे आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में इन्कार किया है। आवेदक अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त रजतराज चौहान प्रस्तुत प्रकरण में नामजद अभियुक्त नहीं है। इस अपराध के वादी के बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 के आधार पर लकी त्रिपाठी व उसके अन्य साथियों मुन्ना लाल मौर्या व रजतराज चौहान के साथ उसके पुत्र का अपहरण कर लिये। लकी त्रिपाठी व उसे साथयों ने वादी के पुत्र के साथ मारपीट की। अभयुक्त लकी त्रिपाठी को अभियोजन द्वारा मुख्य भूमिका में दर्शित किया है। प्रस्तुत प्रकरण के मुख्य अभियुक्त लकी त्रिपाठी का जमानत दिनांक 29–08–2025 को एवं सह अभियुक्त ऋतुराज चौधरी का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05–09–2025 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त रजतराज चौहान की कोई विशिष्ट भूमिका अपराध में दर्शित

नहीं की गयी है। अतः वादी के बयान एवं पीड़ित के बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0ए0 में अभियुक्त रजतराज चौहान के बावत कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित न करने एवं मुख्य अभियुक्त लकी त्रिपाठी की जमानत स्वीकृति के आधार पर आवेदक/अभियुक्त रजतराज चौहान की द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राजतराज चौहान द्वारा मु०अ०सं०–351/2025, अंतर्गत धारा–140(4), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना–गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त में सम्बन्धित थानाध्यक्ष न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 50,000/–रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1– आवेदक अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा, तथा आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेंगा।

2– आवेदक अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3– यदि आवेदक अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।

4– आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

5– आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

6– आवेदक अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।

7– आवेदक अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

{चन्द्र मणि मिश्र}
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या–2, गोरखपुर।
जे ओ कोड यू पी 6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.05.20 16:39:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court